पत्रांक :– 02 / पी॰एम॰सी॰–विविध–214 / 2013

झारखण्ड सरकार

जल संसाधन विभाग

प्रेषक,

अविनाश कुमार
सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी),
झारखण्ड रॉंची।

अनौपचारिक रूप से परामर्शित

द्वारा – वित्त विभाग।

रॉंची, दिनांक :–

विषयः–जल संसाधन विभाग झारखण्ड के अधीन जलपथ प्रमंडल सं॰–02, हजारीबाग के लिए निकासी एवं संवितरण पदाधिकारी घोषित करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रसंग में कहना है कि विभागीय पत्रांक–4923 दिनांक 31.08.2013 द्वारा जलपथ प्रमंडल सं॰–02, चक्रधरपुर शिविर चाईबासा को स्थानान्तरित करते हुए जलपथ प्रमंडल सं॰–02, हजारीबाग के रूप में नामित किया गया है। उक्त के आलोक में दिनांक 29.11.2013 को पूर्ण रूप से मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, हजारीबाग के अधीन जलपथ प्रमंडल सं॰–02, हजारीबाग में कार्यरत हो गया है।

अतः विभागीय पत्रांक–4923, दिनांक 31.08.2013 के आलोक में जलपथ प्रमंडल सं॰- 02, हजारीबाग के लिए संबंधित आवर्त्तक व्यय हेतु कार्यपालक अभियंता, जलपथ प्रमंडल सं॰–02, हजारीबाग को राज्य कोषागार संहिता भाग–1 के नियम के तहत् निकासी एवं संवितरण पदाधिकारी घोषित किया जाता है। इस संबंध में आवश्यक सूचना निम्न प्रकार है :–

(i) कार्यालय का नाम – जलपथ प्रमंडल सं०–02, हजारीबाग

(ii) कार्यालय के नियंत्री पदाधिकारी – अधीक्षण अभियंता, जलपथ अंचल हजारीबाग

(iii) निकासी एवं संवितरण पदाधिकारी का नाम – कार्यपालक अभियंता, जलपथ प्रमंडल सं०–02, हजारीबाग

(iv) कोषागार का नाम – जिला कोषागार, हजारीबाग

(v) कोषागार संहिता भाग–1 के नियम–137 के तहत कोषागार संहिता भाग–2 के परिशिष्ट–7, 9 एवं 10 के आलोक में अपेक्षित विवरणी संलग्न है।

(vi) शीर्ष / लघुशीर्ष / स्थायी स्थापना / अस्थायी स्थापना एवं योजना / गैर योजना शीर्ष–49 N–2701 03 001 07 स्थाई स्थापना / गैर योजना के अन्तर्गत विकलनीय होगा।

D:\important\SEc.1 Draft 2014(New)\New Folder\DDO Draft.doc

अतः अनुरोध है कि कार्यपालक अभियंता, जलपथ प्रमंडल सं०–02, हजारीबाग के पदनाम से जलपथ प्रमंडल सं०–02, हजारीबाग के लिए निकासी एवं संवितरण पदाधिकारी घोषित करने हेतु प्राधिकार पत्र निर्गत करने की कृपा की जाय।

इस स्थापना के लिए पूर्व में प्राधिकार पत्र निर्गत नहीं है। इसमें वित्त विभाग झारखण्ड राँची की सहमति प्राप्त है।

अनु॰–यथोक्त।

विश्वासभाजन

ह॰/–
सचिव
जल संसाधन विभाग
झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक :– 5808 राँची/दिनांक :– 02/06/14

प्रतिलिपिः–माननीया मंत्री, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड राँची के आप्त सचिव (दो प्रतियों में)/सचिव के सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड राँची/प्रधान सचिव, वित्त विभाग, झारखण्ड राँची/अभियंता प्रमुख–01 एवं 02, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड राँची/कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, हजारीबाग/मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, हजारीबाग/अधीक्षण अभियंता, जलपथ अंचल, हजारीबाग/कार्यपालक अभियंता, जलपथ प्रमंडल सं॰–02, हजारीबाग/सभी संयुक्त सचिव/सभी उप सचिव/सभी अवर सचिव/प्रशाखा–01, 02, 03, 05, 07, 08 एवं 14, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड राँची को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. वेब इन्फारमेशन मैनेजर, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड राँची को विभागीय वेब साईड पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

30/5/14

सचिव
जल संसाधन विभाग
झारखण्ड, राँची।

30.5.14

D:\important\SEc.1 Draft 2014(New)\New Folder\DDO Draft.doc